फर्द अहकाम

मदनलाल बनाम राज0 सरकार

पत्र संख्याः 148/2022

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
03.04.2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0.95 हैक्टयर हिस्सा जिसमे प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/2 है जो ग्राम जयसिहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, भू.अभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जो उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो विवादित है। अप्रार्थी के अधिकारियो व कर्मचारियो ने विवादित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम छोटू पुत्र रामकरण अकिंत कर दिया गया जो कि गलत है प्रार्थी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम मदन लाल बैरवा जाति बैरवा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रभू पुत्र रामकरण जाति बैरवा अकिंत कर दिया गया जो कि गलत है प्रार्थी संख्या 2 का सही व वास्तविक नाम प्रभू दयाल बैरवा जाति बैरवा है। प्रार्थी सख्या 1 के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र, जन आधार कार्ड, बैंक पास बुक इन सभी सदस्तावेजो मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम मदन लाल बैरवा ही अंकित है परन्तु अप्रार्थी के अधिकारियो व कर्मचारियो ने राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 1 के सही नाम मदन लाल बैरवा की जगह छोटू अकित कर दिया जो गलत है तथा प्रार्थी सख्या 2 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, पहचान पत्र, बैंक पास बुक इन सभी सदस्तावेजो मे प्रार्थी सख्या 2 का नाम प्रभूदयाल ही अंकित है परन्तु अप्रार्थी के अधिकारियो व कर्मचारियो ने राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 2 के सही नाम प्रभूदयाल की जगह प्रभू अकित कर दिया जो गलत है। प्रार्थी संख्या 1 मदनलाल को घर मे छोटू के नाम से पुकारते है इस कारण प्रार्थी संख्या 1 का नाम राजस्व रिकोर्ड मे मदन लाल के स्थान पर छोटू अंकित कर दिया गया उक्त गलती को सुधारा जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी संख्या 1 को बैंक से लोन लेने मे व अन्य सरकारी कार्यो मे परेशानी न हो तथा प्रार्थी संख्या 2 प्रभूदयाल को घर मे प्रभू के नाम से पुकारते है इस कारण प्रार्थी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकोर्ड मे प्रभूदयाल के स्थान पर प्रभू अंकित कर दिया गया उक्त गलती को सुधारा जाना आवश्यक है ताकि प्रार्थी संख्या 2 को बैंक से लोन लेने मे व अन्य सरकारी कार्यों में परेशानी न हो। [illegible] मे राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या [illegible] स्थान पर मदन लाल अंकित किया जाना आवश्यक है। [illegible] रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रभू के स्थान पर प्रभूदयाल अंकित किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे अकित प्रार्थी संख्या 1	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:56 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

प्रार्थना पत्र संख्याः 148/2022

के गलत नाम छोटू को दुरूस्त करके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे सही नाम मदन लाल अंकित के आदेश फरमाये जावें, कि विवादित भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे अकित प्रार्थी संख्या 2 के गलत नाम प्रभू को दुरूस्त करके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे सही नाम प्रभूदयाल अंकित करने के आदेश फरमाये जावें ।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। तसीलदार सांगानेर को जवाब हेतु तहरीर जारी की गई। लेकिन तहसीलदार सांगानेर की तरफ से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 रकबा 0. 95 हैक्टयर हिस्सा जिसमे प्रार्थीगण प्रत्येक का हिस्सा 1/2 है जो ग्राम जयसिहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, भूअभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है जो उपरोक्तनुसार राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थीगण के नाम दर्ज है जो विवादित है। अप्रार्थी के अधिकारियो व कर्मचारियो ने विवादित राजस्व रिकार्ड मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम छोटू पुत्र रामकरण अकिंत कर दिया गया जो कि गलत है प्रार्थी संख्या 1 का सही व वास्तविक नाम मदन लाल बैरवा जाति बैरवा है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का नाम प्रभू पुत्र रामकरण जाति बैरवा अकिंत कर दिया गया जो कि गलत है प्रार्थी संख्या 2 का सही व वास्तविक नाम प्रभू दयाल बैरवा जाति बैरवा है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विवादित भूमि के राजस्व रिकोर्ड मे अकित प्रार्थी संख्या 1 के गलत नाम छोटू को दुरूस्त करके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे सही नाम मदन लाल अंकित के आदेश फरमाये जावें तथा प्रार्थी संख्या 2 के गलत नाम प्रभू को दुरूस्त करके राजस्व रिकोर्ड जमाबन्दी मे सही नाम प्रभूदयाल अंकित करने के आदेश फरमाये जावें ।

बहस अधिवक्ता प्रार्थीगण व संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया जाने पर प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम जयसिहपुरा उर्फ रूपवास, पटवार हल्का पंवालिया, भूअभि.नि. क्षेत्र मुहाना, तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 134 [illegible] हैक्टयर में प्रार्थी संख्या 1 के गलत नाम छो[illegible] पर सही नाम मदन लाल तथा प्रार्थी [illegible] प्रभू के स्थान पर प्रभूदयाल अं[illegible] के आदेश [illegible]सीलदार सांगानेर को दिये जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.05.21 15:21:56 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (साँगानेर)